निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 48पार्ट– ।।/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/ 1986-2036 दिनांकः 14.3.18

कार्यालय–निर्देश

विषयः–मार्च,2018 से जारी होने वाली राज्य बीमा पॉलिसी एवं फरदर हेतु घोषणा पत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट/प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विभागीय योजनाओं के लेखों एवं कार्य प्रकियाओं को कम्प्यूटरीकृत किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल विकसित किया जाकर उसके माध्यम से राज्य बीमा एवं जीपीएफ के सभी कार्य ऑनलाईन सम्पादित किये जा रहे है। राज्य बीमा की पॉलिसी एवं अधिक कटौतियों के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी :–

1) मार्च,2018 में जिन राज्य कर्मचारियों की प्रथम कटौती/अधिक कटौती होनी है उन्हे घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन फार्म) एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सबमिट करना है। दिनांक 01.04.2018 को जिन कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी जारी की जानी है , उन सभी पात्र राज्य कर्मचारियों को उनके स्वयं के लॉगिन आईडी से पोर्टल पर एसआई–ट्रांजेक्शन–फर्स्ट डिक्लेरेशन पर प्रथम घोषणा पत्र का फार्म सबमिट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा दिनांक 01.04.2018 को अधिक कटौती करवाई जानी (एक स्लेब या दो स्लेब आगे) है वे अपना अधिक घोषणा पत्र संबंधी फार्म उपलब्ध स्कीन (फरदर डिक्लेरेशन) द्वारा सबमिट करवा सकेंगे ।

संबंधित राज्य कर्मचारी उक्त माध्यम से मार्च,2018 से अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन /फरदर डिक्लेरेशन फार्म पोर्टल पर सबमिट कर उसका प्रिन्ट प्राप्त कर प्रिन्ट प्रति पर स्वयं एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर वेतन बिल के साथ संलग्न करेगें एवं एसआईपीएफ पोर्टल पर डीडीओ को संममिट करेंगे जिसके बाद संबंधित डीडीओ उक्त घोषणा पत्रों को एसआईपीएफ कार्यालय को फॉरवर्ड करेगें। साथ ही कर्मचारी द्वारा प्रिन्ट हार्ड कापी पर हस्ताक्षर सहित फार्म एसआईपीएफ जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

राज्य सरकार द्वारा राज्य बीमा योजना की नई प्रीमियम स्लेब दर दिनांक 30.10.2017 को घोषित की गई है ।नई स्लेब अनुसार अधिक जोखिम हेतु सामान्य

www.rajteachers.com

14/3/18

दर पर कटौती होने पर घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नही है परन्तु सामान्य दर से एक या दो स्लेब आगे की कटौती कराने पर घोषणा पत्र भरना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रकिया की पालना हेतु समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं के स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

(किशनाराम ईशरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(बीमा),

कमांकःएफ 48पार्ट–।।/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/1986-2036 दिनांकः 14.3.18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1) अतिरिक्त निदेशक(सिस्टम),राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,मुख्यालय,जयपुर।

2) अतिरिक्त निदेशक,समस्त संभागीय कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग।

3) संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, समस्त जिला कार्यालय।

(रामपाल परसोया),
संयुक्त निदेशक(बीमा)

www.rajteachers.com